तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/8573/2006/श्रीगंगानगर कानाराम बनाम पृथ्वीराज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री प्रशान्त सोनी, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री अमृतपालसिंह, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 10.10.2019

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–11–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या–1 व 2 ने तहसीलदार, सूरतगढ के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम श्योपुरा से चक 6 एसएचपीडी गांव में 196हैड, 8एसएचपीडी को 50 वर्षो से रास्ता चला आ रहा है लेकिन 4केएसआर के पत्थर नम्बर 63/342 के किला नम्बर 1 से 5 में से जो रास्ता जाता है रामचन्द्र जब चाहता है बन्द कर देता है व रास्ता में से यातायात नहीं निकलने देता है। अतः रास्ता राजस्व अभिलेख में स्वीकृत किया जावे। तहसीलदार द्वारा प्रार्थनापत्र पर सम्बन्धित पटवारी से रिपोर्ट मय नक्शा तलब करने के उपरान्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को प्रेषित किया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के उपरान्त बाद जांच एवं मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता स्वीकृति का आदेश दिनांक 06–06–2005 को पारित किया। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 25–11–2006 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/8573/2006/श्रीगंगानगर कानाराम बनाम पृथ्वीराज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	व्यथित होकर अपीलाथीगर्ण द्वारा यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस तथ्य की अनदेखी की गयी है कि जिस भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है, वह भूमि अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि है, जिसे उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पक्षकार संयोजित किये बिना रास्ता कायमी का आदेश पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों एवं विधिक प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी इस तथ्य की अनदेखी करते हुए सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों को निरस्त किया जावे। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आरास्ता पिछले 50 वर्षो से चला आ रहा है एवं सार्वजनिक रास्ता है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की विवादित आराजी से पहले एवं बाद में रास्ता स्वीकृतशुद्धा है, केवल मात्र अपीलार्थी की आराजी में रास्ता स्वीकृत नहीं होने से एक स्थान पर बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए उपखण्ड अधिकारी द्वारा विधिसम्मत् आदेश से रास्ता कायम किया गया है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/8573/2006/श्रीगंगानगर कानाराम बनाम पृथ्वीराज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलाार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 ने तहसीलदार, सूरतगढ के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम श्योपुरा से चक 6 एसएचपीडी गांव में 196हैड, 8एसएचपीडी को 50 वर्षो से रास्ता चला आ रहा है लेकिन 4केएसआर के पत्थर नम्बर 63/342 के किला नम्बर 1 से 5 में से जो रास्ता जाता है रामचन्द्र जब चाहता है बन्द कर देता है व रास्ता में से यातायात नहीं निकलने देता है। अतः रास्ता राजस्व अभिलेख में स्वीकृत किया जावे। तहसीलदार द्वारा प्रार्थनापत्र पर सम्बन्धित पटवारी से रिपोर्ट मय नक्शा तलब करने के उपरान्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को प्रेषित किया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के उपरान्त बाद जांच एवं मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता स्वीकृति का आदेश दिनांक 06-06-2005 को पारित किया। जहां तक अपीलार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी के समक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थीगण को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय एवं मण्डल स्तर पर सुना जा चुका है किन्तु योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा ऐसा कोई नवीन बिन्दू नहीं बताया है जिसकी जांच हेतु प्रकरण को पुनः उपखण्ड अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जावे तथा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे। जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय रास्ता स्वीकृत हेतु	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/8573/2006/श्रीगंगानगर कानाराम बनाम पृथ्वीराज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जांच प्रतिवेदन दिनांक 3-6-2005 बहक हल्का पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक दिनांक 4-6-2005 तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 15-5-2005 एवं नक्शा मौका रास्ता चक 65एसएचपीडी एव चक 4केएसआर पर आधारित है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट है कि रास्ता काफी लम्बा रास्ता है तथा अपीलार्थीगण के मुरब्बा के पहले एवं बाद के मुरब्बों में लम्बा रास्ता स्वीकृतशुद्धा है। सार्वजनिक लम्बे रास्ते को केवल मात्र एक निश्चित स्थान पर बाधित किया जा रहा है, जिससे लम्बे रास्ते के उपयोग करने वाले काश्तकारों एवं आमजन को परेशानी होना स्वभाविक है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी की ओर से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य**	